[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, the 1st day of January, 2015

INCOME-TAX

S.O. ____(E).- In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II. Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 718(E), dated the 31st March, 2010 (No. 21/2010, dated the 31st March, 2010), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Income-tax authorities specified in column (2) of the Table below shall, for the purposes of the functions under section 144C of the said Act, be subordinate to the Income-tax authority specified in column (1) of the said Table, namely:-

Table

Income-tax Authority	Income-tax Authorities
(1)	(2)
Principal Chief Commissioner of Incometax(International Taxation)	Commissioners of Income-tax being Members of Dispute Resolution Panel-1, Delhi and Dispute Resolution Panel -2, Delhi
Chief Commissioner of Incometax(International Taxation)(West Zone), Mumbai	Commissioners of Income-tax being Members of Dispute Resolution Panel -1, Mumbai and Dispute Resolution Panel -2, Mumbai
Chief Commissioner of Incometax(International Taxation)(South Zone), Bengaluru	Commissioners of Income-tax being Members of Dispute Resolution Panel, Bengaluru

2. This notification shall come into force on 1st January, 2015.

[Notification No. 1 / 2015/ F.No. 500/25/2014-SO/FTnTR-2(1)]

RAJAT BANSAL Joint Secretary(FT&TR-II)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्य विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

आयकर

का.आ.—(अ).- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उपखण्ड—(ii) में प्रकाशित 31 मार्च, 2010 (संख्या 21/2010 दिनांक 31 मार्च, 2010) के का.आ. सं. 718(अ) द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के अतिक्रषण में, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किये गये अथवा किये जाने से खूट गये कार्यों के अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निर्देश देता है कि नीचे तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 144ग के अन्तर्गत कार्य करने के प्रयोजनार्थ उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी के अधीनस्थ होंगे, नामत:-

तालिका

आयकर प्राधिकारी	आयकर प्राधिकारी
(1)	(2)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)	विवाद समाक्षान पैनल-1, दिल्ली तथा विवाद समाधान पैनल-2, दिल्ली के सदस्य होते हुए आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई	विवाद समाधान पैनल-1, मुम्बई, तथा विवाद समाधान पैनल-2, मुम्बई के सदस्य होते हुए आयकर आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) (दक्षिण क्षेत्र), वेंगलूक	विषाद समाधान पैनल बेंगलूरू का सदस्य होते हुए आयकर आयुक्त

2. यह अ**धिसूचना** 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. <u>1</u>/201*∮*[फा.सं. 500/25/2014-का.आ./एफटी एंड टीआर-2(1)]

र्जात बंसल रजत बंसल संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-॥)